RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
मई
30
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

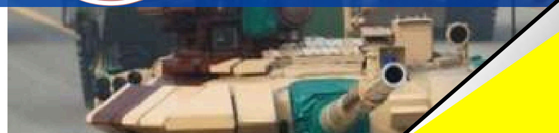

By Ankit Avasthi Sir

महाभियोग / Impeachment

संदर्भ:

कैश कांड मामले से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के **न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा** के खिलाफ संसद में **महाभियोग** प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। यह निर्णय न्यायपालिका की निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आया है।

न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया:

महाभियोग क्या है?

- यह एक संवैधानिक तंत्र है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है।
- एक बार नियुक्त होने के बाद, किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है, और इसके लिए संसद की सहमति आवश्यक होती है।
- संविधान में "महाभियोग" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 (सुप्रीम कोर्ट के लिए) और अनुच्छेद 218 (हाई कोर्ट के लिए) में दी गई है।
- इस प्रक्रिया को विस्तृत रूप में *न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968* में समझाया गया है।

महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है?

1. **प्रस्ताव की शुरुआत:**
   - महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है।
   - राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों और लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।
2. **प्रारंभिक जांच:**
   - प्रस्ताव मिलने के बाद, संबंधित सदन के सभापति (राज्यसभा) या अध्यक्ष (लोकसभा) इस पर विचार करते हैं।
   - वे उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
3. **जांच समिति का गठन:**
   - यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो सभापति/अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखते हैं।
   - इसके बाद एक तीन-सदस्यीय समिति बनाई जाती है, जिसमें शामिल होते हैं:
     - सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश
     - किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
     - एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (सरकार द्वारा नामित)
4. **जांच और रिपोर्ट:**
   - यह समिति आरोपों की जांच करती है।
   - यदि समिति आरोपों को सही पाती है, तो महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में मतदान होता है।
5. **विशेष बहुमत से पारित करना:**
   - प्रस्ताव को पारित करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए:
     - उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई का समर्थन
     - साथ ही, यह संख्या कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होनी चाहिए।
6. **राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाना:**
   - जब दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तभी राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं – यानी महाभियोग लागू होता है।

क्या अब तक किसी न्यायाधीश का महाभियोग हुआ है?

- **नहीं**, स्वतंत्र भारत में अब तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया गया है।
- यद्यपि कुछ न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन कोई भी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित नहीं हो पाई।
- कई मामलों में, जांच समिति की रिपोर्ट आने से पहले या मतदान से पूर्व ही संबंधित न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया।

नक्सलवाद / Naxalism

संदर्भ:

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों द्वारा चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन में देश के मोस्ट-वांटेड माओवादी नेता नंबाला केशव राव, जिसे **'बसवराजु'** के नाम से जाना जाता था, 26 अन्य माओवादियों के साथ मारा गया यह कार्रवाई **माओवादी आंदोलन** के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है।

भारत की नक्सलवाद समाप्त करने की रणनीति:

केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार नक्सल मुक्त भारत की दिशा में काम कर रही है, **31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म** करने का लक्ष्य रखा गया है।

संवैधानिक संदर्भ:

- संविधान सातवीं अनुसूची के तहत **"पुलिस"** और **"लोक व्यवस्था"** राज्य सूची में आती हैं।
- फिर भी, केंद्र सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए एक **राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015)** को अपनाया, जिसमें **सुरक्षा, विकास और जन-अधिकार संरक्षण** को एकीकृत रूप से जोड़ा गया।

विकास आधारित पहल:

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II (PMGSY-II):** नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारने हेतु *LWE रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट* लागू।
- **ROSHNI योजना:** नक्सल प्रभावित जिलों के ग्रामीण युवाओं को *प्रशिक्षण और रोजगार* के अवसर प्रदान करना।
- **आईटीआई और कौशल विकास केंद्र:** नक्सल-प्रभावित जिलों में स्थापित कर *तकनीकी शिक्षा और रोजगार* पर ज़ोर।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):** लगभग 130 विद्यालय कार्यरत हैं, जो *आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा* उपलब्ध कराते हैं।
- **डिजिटल भारत निधि (पूर्व में USOF योजना):** दुर्गम क्षेत्रों में *मोबाइल टॉवर* स्थापित कर संचार सुविधाएं सुदृढ़ करना।
- **आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (Nehru Yuva Kendra):** आदिवासी युवाओं से संपर्क बढ़ाने हेतु *सांस्कृतिक एवं प्रेरक कार्यक्रम*।

सुरक्षा अभियान:

- **ऑपरेशन ग्रीन हंट:** बड़ी सैन्य कार्यवाही द्वारा नक्सली प्रभाव को खत्म करने का प्रयास।
- **विशेष बलों की तैनाती:** CoBRA (CRPF), Greyhounds (आंध्र प्रदेश) जैसी यूनिट्स और बढ़ी हुई CAPF व राज्य पुलिस की तैनाती।

विधिक उपाय:

- **गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA):** नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रभावी कानूनी साधन।
- **वन अधिकार अधिनियम, 2006:** आदिवासी समुदायों को वन उपज पर अधिकार देने की गारंटी।
- **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA):** ग्राम सभाओं को स्थानीय शासन और संसाधन प्रबंधन में सशक्त करना।

आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और समाज में पुन: एकीकरण की सुविधा।

प्रगति के संकेत:

- **प्रभावित जिले:** 2014 में 126 → 2024 में केवल **12 जिले**
- **नक्सल घटनाएँ:**
    - 2004-2014: **16,463 घटनाएं**
    - 2014-2024: **7,700 घटनाएं**
- **सुरक्षा बलों की हानि में कमी:** 73% की गिरावट
- **नागरिक हताहतों में कमी:** 70% की गिरावट

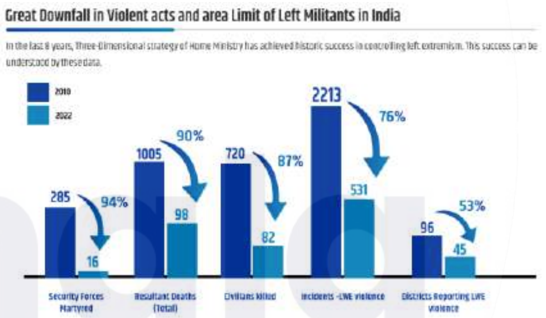

निष्कर्ष: भारत सरकार ने **सुरक्षा, विकास, कानून और पुनर्वास** के समन्वित दृष्टिकोण से नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार किया है। सरकारी आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह रणनीति प्रभावी रही है। हालांकि कुछ चुनौतियां अब भी शेष हैं, परंतु **समावेशी विकास, आदिवासी अधिकारों की रक्षा** और **स्थानीय सहभागिता** के ज़रिए भारत नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है।

कॉलेजियम प्रणाली / Collegium System

संदर्भ:
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में **मद्रास, राजस्थान, त्रिपुरा और झारखंड हाई कोर्ट** के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले **(Transfer)** की सिफारिश की है।

भारत में कॉलेजियम प्रणाली:

परिभाषा: कॉलेजियम प्रणाली भारत में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण हेतु प्रयुक्त होती है।

संवैधानिक स्थिति:
- यह संविधान या संसद द्वारा पारित किसी क़ानून में **उल्लेखित नहीं है**।
- इसका विकास **सुप्रीम कोर्ट के फैसलों** के माध्यम से हुआ, ताकि **न्यायिक स्वतंत्रता** सुनिश्चित की जा सके।

उद्देश्य: सरकार के बजाय **वरिष्ठ न्यायाधीशों को निर्णायक भूमिका** देना, ताकि नियुक्तियों में निष्पक्षता बनी रहे।

विकास की प्रक्रिया: तीन ऐतिहासिक मुकदमों के माध्यम से

पहला जज केस (1981) – एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ:
- **निर्णय:** मुख्य न्यायाधीश (CJI) की राय केवल परामर्शात्मक है।
- **प्रभाव:** नियुक्तियों में कार्यपालिका (सरकार) को प्राथमिकता मिली।

दूसरा जज केस (1993) – एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ:
- **निर्णय:** "परामर्श" का अर्थ है "**सम्मति**", जिससे CJI की राय **बाध्यकारी** हो गई।
- कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल थे।
- न्यायिक स्वतंत्रता के लिए न्यायिक प्राथमिकता को मान्यता मिली।

तीसरा जज केस (1998) – राष्ट्रपति का संदर्भ:
- **कॉलेजियम का विस्तार:** अब इसमें **CJI + 4 वरिष्ठतम SC न्यायाधीश** शामिल।
- **जोर:** निर्णय संस्थागत प्रक्रिया से हो, किसी एक न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय से नहीं।

कॉलेजियम प्रणाली कैसे कार्य करती है ? भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण का यह तंत्र न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए स्थापित हुआ है। इसका संचालन सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित प्रक्रिया के माध्यम से होता है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति:
- कॉलेजियम में शामिल होते हैं: CJI (मुख्य न्यायाधीश) + 4 वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश।

कार्य:
  - सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश।
  - उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण की भी सिफारिश करता है।

प्रक्रिया: कॉलेजियम की सिफारिशें **क़ानून मंत्रालय को भेजी जाती हैं**, जो उन्हें प्रधानमंत्री को भेजता है।
  - **प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं**, जो अंतिम मंजूरी प्रदान करते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति:
- **परंपरा: वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश** का चयन किया जाता है।
- **प्रक्रिया:**
  - **वर्तमान CJI द्वारा अनुशंसा की जाती है।**
  - यह परंपरा **1970 के दशक की वरिष्ठता विवाद** के बाद से चली आ रही है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति:
- **प्रक्रिया की शुरुआत:** संबंधित उच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायाधीश द्वारा**, दो वरिष्ठतम सहयोगी न्यायाधीशों से परामर्श के बाद सिफारिश की जाती है।
- **प्रक्रिया:**
  - प्रस्ताव **राज्य सरकार** को जाता है।
  - फिर **सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (CJI + 2 वरिष्ठतम SC न्यायाधीश)** के पास भेजा जाता है।
  - अंत में यह **राष्ट्रपति की मंजूरी** के लिए भेजा जाता है।

न्यायाधीशों का स्थानांतरण:
- संवैधानिक प्रावधान: **अनुच्छेद 222** – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण संभव।
- **कॉलेजियम की भूमिका:** स्थानांतरण की सिफारिश कॉलेजियम द्वारा की जाती है – प्राय: प्रशासनिक आवश्यकता या सार्वजनिक हित में।
- **प्रक्रिया:**
  - CJI को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना अनिवार्य होता है।
  - **न्यायाधीश की सहमति आवश्यक नहीं होती।**
  - कोई उच्च न्यायालय एक महीने से अधिक समय तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं रख सकता, इसलिए स्थानांतरण और नियुक्तियाँ प्राय: एक साथ की जाती हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य / Minimum Support Price (MSP)

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने **2025–26 विपणन वर्ष** के लिए **14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का कुल **वित्तीय भार ₹2.07 लाख करोड़** होगा।

उद्देश्य:

- **किसानों की आय को दोगुना करना:** सरकार का यह निर्णय वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **उत्पादन लागत की भरपाई सुनिश्चित करना:** यह नीति 2018-19 के बजट की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि MSP को देशभर की औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाएगा।
- **किसानों को उनकी उपज का न्यायसंगत मूल्य दिलाना:** यह निर्णय किसानों को उनकी मेहनत के बदले उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **कृषि को लाभकारी और टिकाऊ बनाना:** MSP वृद्धि से कृषि को एक सतत और आर्थिक रूप से व्यवहारिक क्षेत्र के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना:** किसानों की आमदनी बढ़ने से ग्रामीण मांग और खपत में वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- **कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना:** यह निर्णय 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के तहत कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम है।

Minimum Support Price (MSP):

परिचय:

- **MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य)** वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदने की गारंटी देती है, भले ही बाजार मूल्य इससे कम क्यों न हो।
- इसका उद्देश्य किसानों को **कीमतों में गिरावट से सुरक्षा प्रदान करना** है।

इतिहास:

- **1960 के दशक के खाद्यान्न संकट** (विशेषकर **बिहार अकाल 1966–67**) के बाद MSP की शुरुआत हुई।
- **1965** में **Agricultural Price Commission (APC)** की स्थापना की गई ताकि तयशुदा मूल्य पर खरीद जैसे मूल्य नीति उपाय लागू किए जा सकें।
- **1985** में APC को **Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)** में परिवर्तित किया गया, जिससे इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ।

घोषणा प्रक्रिया:

- MSP की घोषणा **भारत सरकार** द्वारा **प्रत्येक फसल सीजन** के लिए की जाती है।
- यह निर्णय **CACP की सिफारिशों** के आधार पर होता है, जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है:
    - उत्पादन लागत
    - मांग व आपूर्ति
    - बाजार मूल्य रुझान
    - उपभोक्ता और किसान हितों का संतुलन
    - अंतरराष्ट्रीय कीमतें
    - फसल का पारिस्थितिकीय महत्व

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गणना विधि:

A2+FL सूत्र: MSP निर्धारण का आधार-

- **A2 (Paid-out Cost):**
    - वे सभी खर्चे जो किसान **नकद या वस्तु** के रूप में करता है।
    - उदाहरण: बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मशीनरी, पट्टे की भूमि का किराया, मजदूरी आदि।
- **FL (Family Labour): परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई श्रम** का मूल्य, जिसका भुगतान नहीं किया जाता लेकिन उसे गणना में जोड़ा जाता है।
- **A2 + FL:** यह वह लागत है जिसे **भारत सरकार MSP तय करने के लिए मुख्य रूप से आधार** मानती है।

एमएसपी के अंतर्गत आने वाली फसलें:

खरीफ फसलें:

- अनाज: धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का
- दालें: अरहर, मूंग, उड़द
- तिलहन: मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, नाइजर-सीड
- वाणिज्यिक: कपास

रबी फसलें:

- गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम

वाणिज्यिक फसलें: खोपरा, जूट और तोरिया तथा छिलका रहित नारियल भी संबंधित एमएसपी के अंतर्गत आते हैं

पिछले वर्ष गरीबी में कमी / Reduction in poverty in the last year

संदर्भ:

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा हाल ही में जारी **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण** (Household Consumption Expenditure Surveys) 2022-23 और 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, **भारत में गरीबी में तीव्र गिरावट** और **आय/खपत की असमानता में मामूली कमी** दर्ज की गई है।

NSO उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण और भारत में गरीबी पर प्रमुख तथ्य:

गरीबी रेखा (Poverty Line): मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय

ग्रामीण क्षेत्र

- **2011-12:** ₹972
- **2022-23:** ₹1,837
- **2023-24:** ₹1,940

शहरी क्षेत्र

- **2011-12:** ₹1,407
- **2022-23:** ₹2,603
- **2023-24:** ₹2,736
- *5-सदस्यीय शहरी परिवार के लिए 2023-24 की गरीबी रेखा:* ₹13,680 प्रति माह

TABLE 1: POVERTY RATIOS USING DIFFERENT CUT-OFFS: ALL INDIA

Poverty Line (PL) Cut-offs	Rural			Urban			Rural+urban		
	2011-12	2022-23	2023-24	2011-12	2022-23	2023-24	2011-12	2022-23	2023-24
150	66.6	34.8	27.8	52.8	27.8	21.7	62.6	32.8	26
125	51.3	20.8	14.8	40.1	16.9	11.9	48.1	19.7	13.9
115	43.5	15.8	9.9	34.7	12.9	8.8	41	15	9.6
100	30.9	9.6	4.9	26.8	9.3	4.8	29.5	9.5	4.9
85	18.3	4.8	4.2	18.1	4.6	4.1	18.3	4.7	4.2
75	11.1	4.2	3.7	12.4	4.1	3.6	11.5	4.2	3.7
50	3.9	2.8	2.5	4.3	2.7	2.4	4	2.8	2.4

Note: 1. 100 per cent PL refers to Rangarajan Committee's Poverty Line, adjusted for CPI-based inflation. 2. Rural + Urban data are the weighted average; weights being their respective shares in the estimated persons. *Source: Estimates using Household Consumer Expenditure Surveys of NSSO*

गरीबी अनुपात (Poverty Ratio):

- **2011-12:** 29.5%
- **2022-23:** 9.5%
- **2023-24:** 4.9%
- **2011-12 से 2023-24 के बीच गिरावट की दर:** औसतन 2.05 प्रतिशत अंक प्रति वर्ष
- **तुलना में:** 2004-05 से 2011-12 तक दर 2.2 प्रतिशत अंक प्रति वर्ष थी

विश्व बैंक के अनुसार: चरम गरीबी (Extreme Poverty) में गिरावट

- **$2.15/दिन (PPP) से नीचे जीवन यापन करने वाले:**
  - **2011-12:** 16.2%
  - **2022-23:** 2.3%
  - **कुल लोग जो गरीबी से बाहर निकले:** 170 मिलियन से अधिक
- **निम्न-मध्यम आय गरीबी रेखा ($3.65/दिन):**
  - **2011-12:** 61.8%
  - **2022-23:** 28.1%

हालिया गरीबी में गिरावट के पीछे के कारक (2022-23 से 2023-24)

गरीबी दर में गिरावट: 2022-23 में गरीबी दर 9.5% थी, जो 2023-24 में घटकर 4.9% रह गई।

आर्थिक वृद्धि (GDP Growth):

- 2022-23 में GDP वृद्धि दर 7.6% थी।
- 2023-24 में यह बढ़कर 9.2% हो गई।
- तेज़ आर्थिक वृद्धि गरीबी घटाने में प्रमुख कारक रही।

मुद्रास्फीति (Inflation):

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 6.7% से घटकर 5.4% हुआ।
- हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति 6.6% से बढ़कर 7.5% हो गई।

सरकारी कल्याणकारी: योजनाएँ का योगदान।

गरीबी क्या है?

- **परिभाषा:** गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं (भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) को पूरा करने में असमर्थ होता है।
- **अंतरराष्ट्रीय भिन्नता:** गरीबी की परिभाषा और मापने का तरीका अलग-अलग देशों में उनकी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होता है।
- **भारत में गरीबी का मापन:**
  - भारत में गरीबी को *गरीबी रेखा* के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर आँका जाता है।
  - गरीबी रेखा वह न्यूनतम आय स्तर है, जिसके नीचे रहने वाले परिवारों को गरीब माना जाता है।
- **उपभोग आधारित मूल्यांकन:** जिन परिवारों का उपभोग (consumption) इस निर्धारित सीमा से कम होता है, उन्हें गरीब की श्रेणी में रखा जाता है।
- **गरीबी रेखा की प्रकृति:** यह देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार तय होती है और समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाता है।

भारत में गरीबी उन्मूलन की चुनौतियाँ

- **संकटों के प्रति संवेदनशीलता:** बड़ी आबादी गरीबी रेखा के करीब है और स्वास्थ्य या जलवायु संकट के कारण फिर से गरीबी में गिर सकती है।
- **असमरूप कल्याण योजनाएँ:** शहरी गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कवरेज अपर्याप्त है, जैसे शहरी क्षेत्रों में PDS की सीमित पहुँच।
- **शहरी गरीबी से जुड़े आँकड़ों की कमी:** हालिया सर्वेक्षणों में असंगठित क्षेत्र और अनौपचारिक श्रमिकों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है।
- **क्षेत्रीय विषमता:** बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य अभी भी उच्च गरीबी दर दर्शाते हैं।

वैश्विक तापमान में वृद्धि / Global temperature rise

संदर्भ:

वैश्विक वार्षिक से दशकीय जलवायु अपडेट के अनुसार, अगले पाँच वर्षों के दौरान पृथ्वी का तापमान **औद्योगीकरण-पूर्व स्तर (1850–1900)** की तुलना में **1.2°C से 1.9°C** अधिक रहने की संभावना जताई गई है।

वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि:

- **2024 का तापमान:** औसत वैश्विक तापमान 1850-1900 (औद्योगिक-पूर्व स्तर) की तुलना में **1.34°C से 1.41°C** अधिक रहा।
- **2025 तक की पूर्वानुमान:**
  - **2015–2034** के 20-वर्षीय औसत तापमान में **1.44°C** की वृद्धि संभावित।
  - अगले 5 वर्षों में:
    - **86% संभावना** कि कम-से-कम एक वर्ष में तापमान **1.5°C** से अधिक होगा।
    - **1% संभावना** कि कोई एक वर्ष **2°C** तक बढ़ जाए।
    - **70% संभावना** कि 5-वर्षीय औसत तापमान **1.5°C** की सीमा पार कर जाएगा।
- **पेरिस समझौता (1.5°C लक्ष्य):** यह लक्ष्य 20 वर्षों के औसत तापमान पर आधारित है। WMO ने स्पष्ट किया है कि यह सीमा *स्थायी रूप से* अभी पार नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान प्रवृत्ति **चेतावनी संकेत** है।

क्षेत्रीय वर्षा प्रभाव:

- **अधिक वर्षा वाले क्षेत्र:** अफ़्रीकी साहेल, उत्तरी यूरोप और दक्षिण एशिया में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना।
- **सूखे से प्रभावित क्षेत्र:** अमेज़न क्षेत्र में सूखे की स्थिति बनी रह सकती है।

आर्कटिक में तेज़ गर्मी:

- **आगामी पाँच सर्दियों (नव.–मार्च):**
  - आर्कटिक का औसत तापमान **1991–2020** की तुलना में **2.4°C अधिक** रहने की संभावना।
  - यह वृद्धि वैश्विक औसत से **साढ़े तीन गुना अधिक** है।
- **समुद्री बर्फ का ह्रास:**
  - बरेंट्स, बेरिंग और ओखोत्स्क सागर में समुद्री बर्फ का सिकुड़ना जारी।
  - इससे **समुद्र स्तर बढ़ने** और **विश्वभर में मौसमी असंतुलन** की आशंका।

पेरिस समझौता (2015, COP21):

प्रकृति: यह *कानूनी रूप से बाध्यकारी* अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे *संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)* के COP21 सम्मेलन में 2015 में अपनाया गया।

लक्ष्य:

- वैश्विक तापमान वृद्धि को **पूर्व-औद्योगिक स्तरों** की तुलना में **2°C से नीचे** रखना।
- साथ ही इसे **1.5°C तक सीमित** करने के प्रयास करना।

1.5°C सीमा:

- यह एक **लक्ष्य** है, **कानूनी बाध्यता नहीं**।
- इसका उल्लंघन तब माना जाएगा जब दीर्घकालिक (20–30 वर्षों) औसत तापमान इस सीमा से ऊपर चला जाए, न कि केवल किसी एक वर्ष में।

राष्ट्र-निर्धारित योगदान (NDCs):

- सभी देश स्वयं के *NDCs* बनाते हैं और इन्हें हर 5 वर्षों में **समीक्षित व अद्यतन** करते हैं।
- इसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई को समय के साथ और अधिक प्रभावी बनाना है।

वर्तमान स्थिति (2025):

- UNFCCC के 195 में से **180 देश** अब तक **2031–35** के लिए अपनी नई NDCs प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं।
- उन्हें यह कार्य **COP30 से पहले** करना है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन

- **स्थापना:** 1950 में स्थापित, यह एक *सरकारी अंतरसरकारी संगठन* है।
- **सदस्यता:** इसके **193 सदस्य राष्ट्र और क्षेत्र** हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र से संबंध:** यह *संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी* है, जो **मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और भू-भौतिकी** से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करती है।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।

माउंट कंचनजंगा / Mount Kanchenjunga

संदर्भ:

सिक्किम के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य की आस्था का प्रतीक **माउंट कंचनजंगा** को पर्वतारोहण के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए। यह पर्वत सिक्किमवासियों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है, और इसे संरक्षित रखने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है।

माउंट कंचनजंगा और उस पर प्रतिबंधित पर्वतारोहण गतिविधियाँ: संरक्षित धार्मिक दृष्टिकोण से विश्लेषण

कंचनजंगा पर पर्वतारोहण प्रतिबंध:

- सिक्किम सरकार ने **1998 और 2001** में अधिसूचनाओं के माध्यम से **माउंट कंचनजंगा पर सभी पर्वतारोहण गतिविधियों को प्रतिबंधित** किया।
- यह प्रतिबंध **Sacred Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991** के अंतर्गत लगाया गया था।

माउंट कंचनजंगा: एक परिचय

- **दुनिया का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत**: समुद्र तल से ऊँचाई 8,586 मीटर।
- **भौगोलिक स्थिति:**
  - भारत के **सिक्किम** और **पूर्वी नेपाल** की सीमा पर स्थित।
  - **कंचनजंगा हिमाल क्षेत्र** का हिस्सा है।
  - पश्चिम में **तमूर नदी** और पूर्व में **तीस्ता नदी** इसकी भौगोलिक सीमाएं निर्धारित करती हैं।

यूनेस्को विश्व धरोहर दर्जा (2016):

- **Khangchendzonga National Park** को 2016 में **UNESCO World Heritage Site** घोषित किया गया – **Mixed Category** में (सांस्कृतिक + प्राकृतिक)।
- **इसमें स्थित हैं:**
  - **26 किमी लंबा ज़ेमू ग्लेशियर** और कई उच्च हिमालयी झीलें।
  - यह पार्क **Eastern Himalaya Global Biodiversity Hotspot** का हिस्सा है।
  - यह पार्क **सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25%** कवर करता है।

स्टिंगलेस मधुमक्खियाँ / Stingless Bees

संदर्भ:

हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ (Stingless Bees) किसानों की सब्ज़ियों और अन्य फसलों की उपज को लगभग 29 प्रतिशत बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।

स्टिंगलेस मधुमक्खियाँ: पारिस्थितिक और औषधीय महत्व-

परिचय:

- **स्टिंगलेस बी** (Stingless Bee) ऐसी मधुमक्खी होती है जो **डंक नहीं मार सकती**, जबकि दिखने में यह सामान्य मधुमक्खी जैसी ही होती है।
- यह भी **यू-सोशल (Eusocial)** होती हैं, यानी ये **संगठित कालोनियों** में रहती हैं जिनमें रानी (Queen), नर (Drones) और कई श्रमिक (Worker) मधुमक्खियाँ होती हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- सामान्य मधुमक्खियों की तुलना में आकार में **छोटी** होती हैं।
- **डंक की जगह काटकर** (biting) घोंसले की रक्षा करती हैं।
- **प्रमुख वितरण क्षेत्र:**
  - **भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया** और अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
  - भारत में मुख्यत: **उत्तर-पूर्व, दक्षिण और पूर्वी हिस्सों** में पाई जाती हैं।

वैज्ञानिक पालन:

- **स्टिंगलेस बी का वैज्ञानिक रूप से पालतूकरण** सबसे पहले **नागालैंड** में किया गया।
- इसके बाद यह कार्य **मेघालय** और **अरुणाचल प्रदेश** तक विस्तारित हुआ।

पारिस्थितिक एवं आर्थिक महत्व:

- ये मधुमक्खियाँ **फसलों के परागण** में सहायक होती हैं, जिससे **कृषि उत्पादन में वृद्धि** होती है।
- ये **मूल्यवान औषधीय शहद (Medicinal Honey)** बनाती हैं, जो अपने **उपचारात्मक गुणों** के लिए प्रसिद्ध है।

डार्क पैटर्न्स / Dark patterns

संदर्भ:

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे **स्व-ऑडिट (Self-Audit)** करें ताकि उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत **'डार्क पैटर्न्स' (Dark Patterns)** की पहचान कर उन्हें समाप्त किया जा सके।

डार्क पैटर्न्स:

परिभाषा: डार्क पैटर्न्स उन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनों को कहा जाता है जो जानबूझकर इस तरह बनाए जाते हैं कि उपयोगकर्ता अनजाने में ऐसी क्रियाएं करें जो वे सामान्यत: न करना चाहें।

उत्पत्ति: "डार्क पैटर्न" शब्द को 2010 में यूके के यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हैरी ब्रिगनल (Harry Brignull) ने गढ़ा।

कार्यप्रणाली:

- ये डिज़ाइन उपयोगकर्ता के **संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों** (cognitive biases) और **मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों** का शोषण करके उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
- ये रणनीतियाँ **थोड़ी भ्रामक** से लेकर **आक्रामक रूप से भ्रामक** तक हो सकती हैं।

प्रचलन: डार्क पैटर्न्स का उपयोग **खुदरा**, **यात्रा**, **स्वास्थ्य**, और **सोशल मीडिया** जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया है।

आम उदाहरण:

- **Sneak into basket:** किसी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में बिना अनुमति के चुपचाप एक अतिरिक्त वस्तु जोड़ देना।
- **Cookie consent manipulation:** "स्वीकार करें" बटन को बड़े और चमकीले रंग में दिखाना जबकि "अस्वीकार करें" विकल्प को छिपाना या छोटा करना।
- **छिपे हुए शुल्क (Hidden Costs):** अंतिम चेकआउट स्टेज में जाकर ही अतिरिक्त शुल्क दिखाई देना।

उद्देश्य: इन डिज़ाइनों का उद्देश्य उपभोक्ता को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना होता है जो **कंपनी के हित में** हो, भले ही वह उपभोक्ता के नुकसान का कारण बने।

नर्डल्स / Nurdles

संदर्भ:

केरल के तिरुवनंतपुरम तट पर हाल ही में **प्लास्टिक नर्डल्स (Tiny Plastic Pellets)** पाए गए हैं, जो कंटेनर जहाज़ **MSC ELSA-3** के डूबने के बाद समुद्र में फैल गए। ये छोटे-छोटे प्लास्टिक कण **समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र (Marine and Coastal Ecosystems)** के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।

नर्डल्स (Nurdles):

परिभाषा:

- **नर्डल्स** वे छोटे, पहले से बने प्लास्टिक के दाने होते हैं जिनका उपयोग **मोल्डिंग** और **एक्सट्रूज़न** (extrusion) प्रक्रियाओं में कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
- ये 1 मिमी से 5 मिमी के आकार के होते हैं और **प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक (Primary Microplastics)** के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

रासायनिक संरचना:

- नर्डल्स मुख्यत: निम्नलिखित प्लास्टिक पॉलिमरों से बने होते हैं:
  - **पॉलीएथिलीन (Polyethylene)**
  - **पॉलीप्रोपाइलीन (Polypropylene)**
  - **पॉलीस्टाइरीन (Polystyrene)**
  - **पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC)**

उपयोग:

- इन्हें पिघलाकर **पैकेजिंग सामग्री**, **पानी की बोतलें**, **खिलौने**, **कपड़े**, आदि बनाने के लिए ढाल दिया जाता है।
- ये प्लास्टिक निर्माण की **आधारभूत ईकाई** के रूप में कार्य करते हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव: नर्डल्स एक **गंभीर प्रदूषक** हैं क्योंकि:

- ये **समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र** को दूषित करते हैं।
- समय के साथ यह **माइक्रो और नैनोप्लास्टिक** में टूट जाते हैं और **खाद्य श्रृंखला** में प्रवेश कर जाते हैं।
- इनके कारण मछलियों और अन्य समुद्री जीवों की मृत्यु हो सकती है।
- अंतत: **मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव** डाल सकते हैं जब ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं।

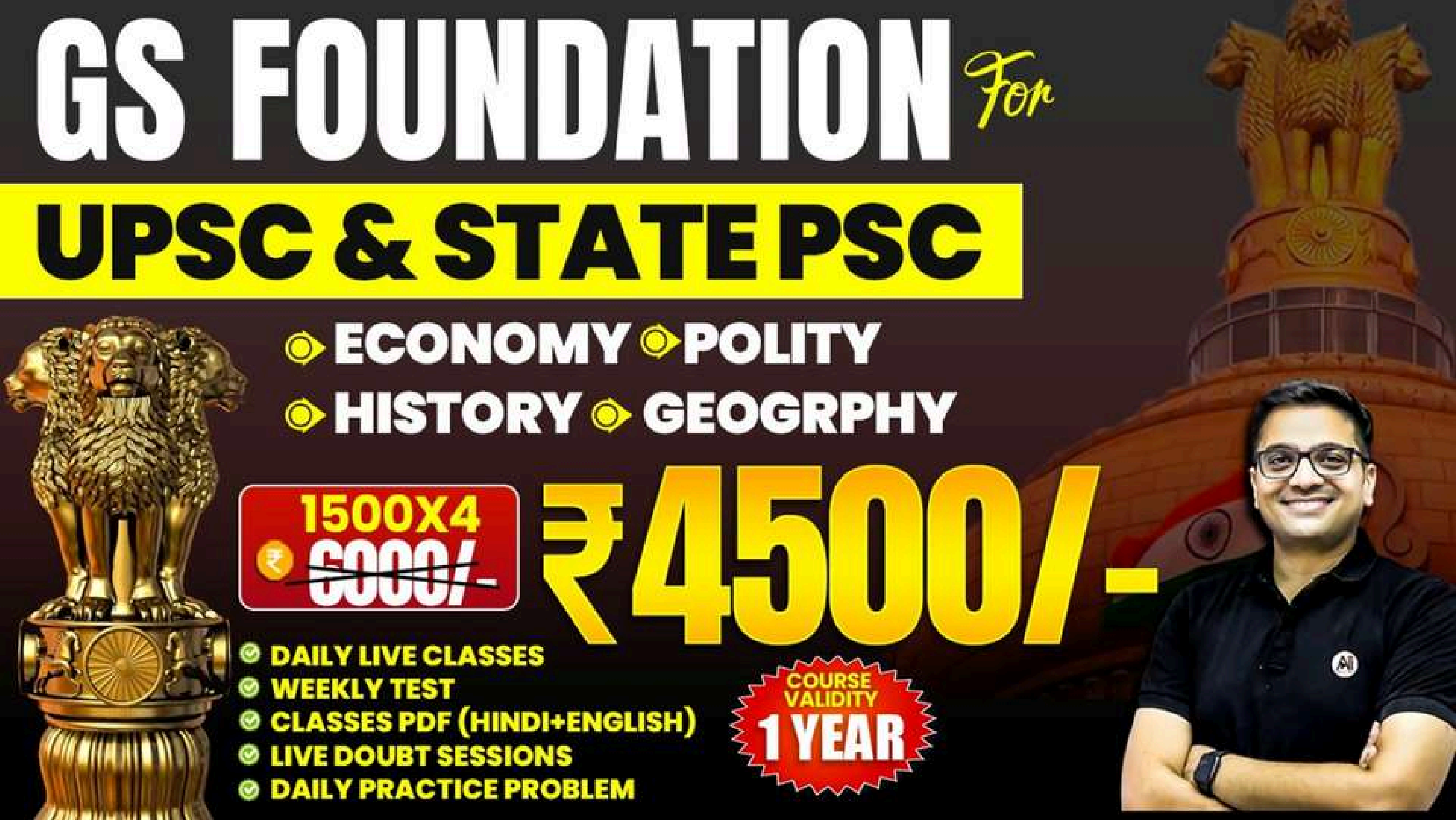
GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
ECONOMY
POLITY
HISTORY
GEOGRPHY
1500X4
₹ 6000/-
₹4500/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

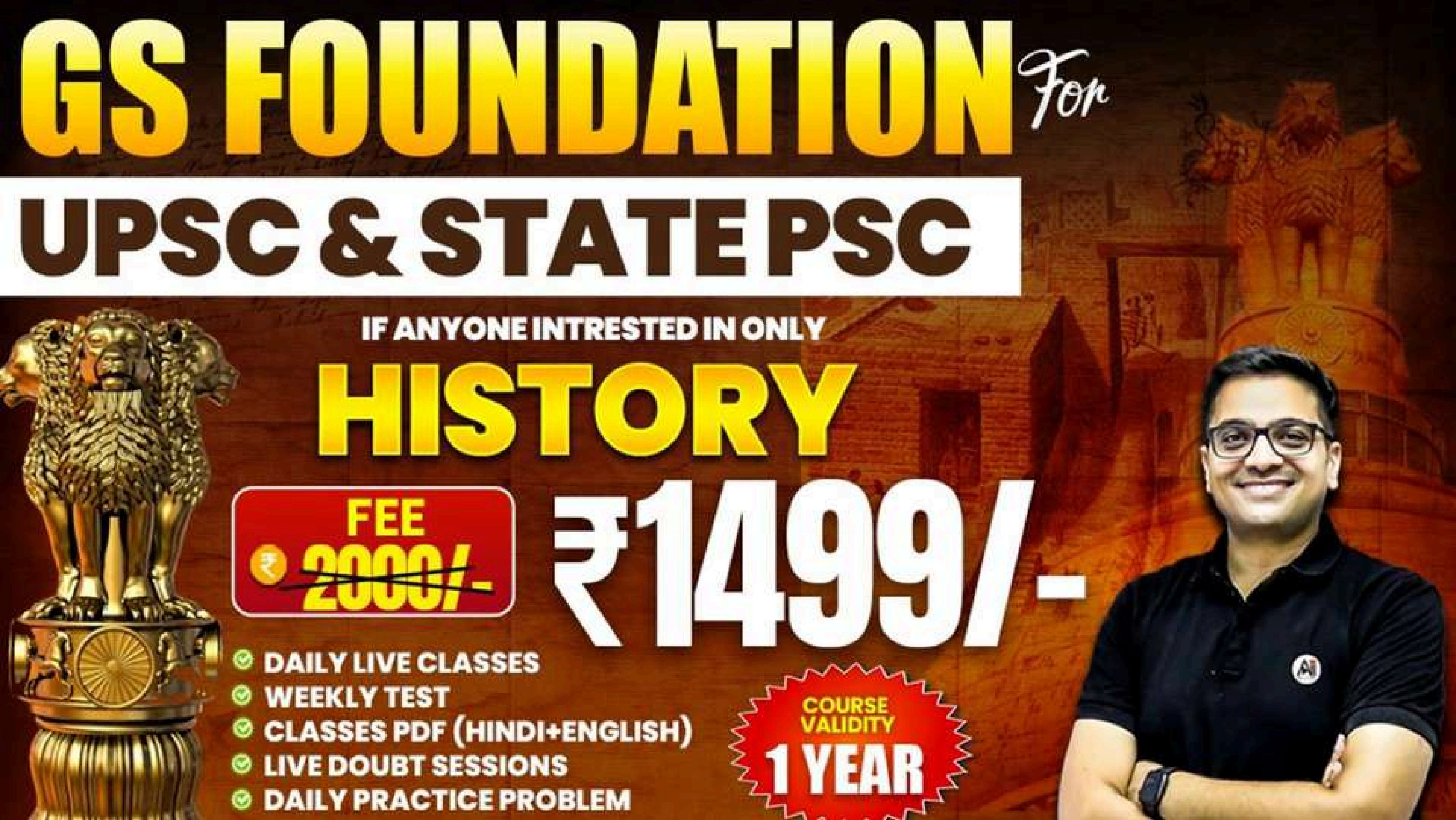
GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
IF ANYONE INTRESTED IN ONLY
HISTORY
FEE
₹ 2000/-
₹1499/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
IF ANYONE INTRESTED IN ONLY
ECONOMY
FEE
₹ 2000/-
₹1499/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

जानिए
भारतीय संविधान
CONSTITUTION OF INDIA
मात्र
1499/-Year
Enroll Now !
1 year validity

GS FOUNDATION
Hand Written Notes
Pathshala
भारतीय भूगोल
भौतिक तथा विश्व भूगोल
भारत तथा विश्व की अर्थव्यवस्था
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
आधुनिक भारत एवं विश्व का इतिहास
BEST OFFER
1999Rs
4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
Bilingual
By Ankit Avasthi Sir

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण
RNA : Real News Analysis
MONTHLY CURRENT AFFAIRS
UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
MONTH
जनवरी, 2025
By Ankit Avasthi Sir
MONTHLY MAGAZINE
FREE!
अधिक जानकारी के लिए दिए गए
नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
Billingual
ANKIT AVASTHI SIR

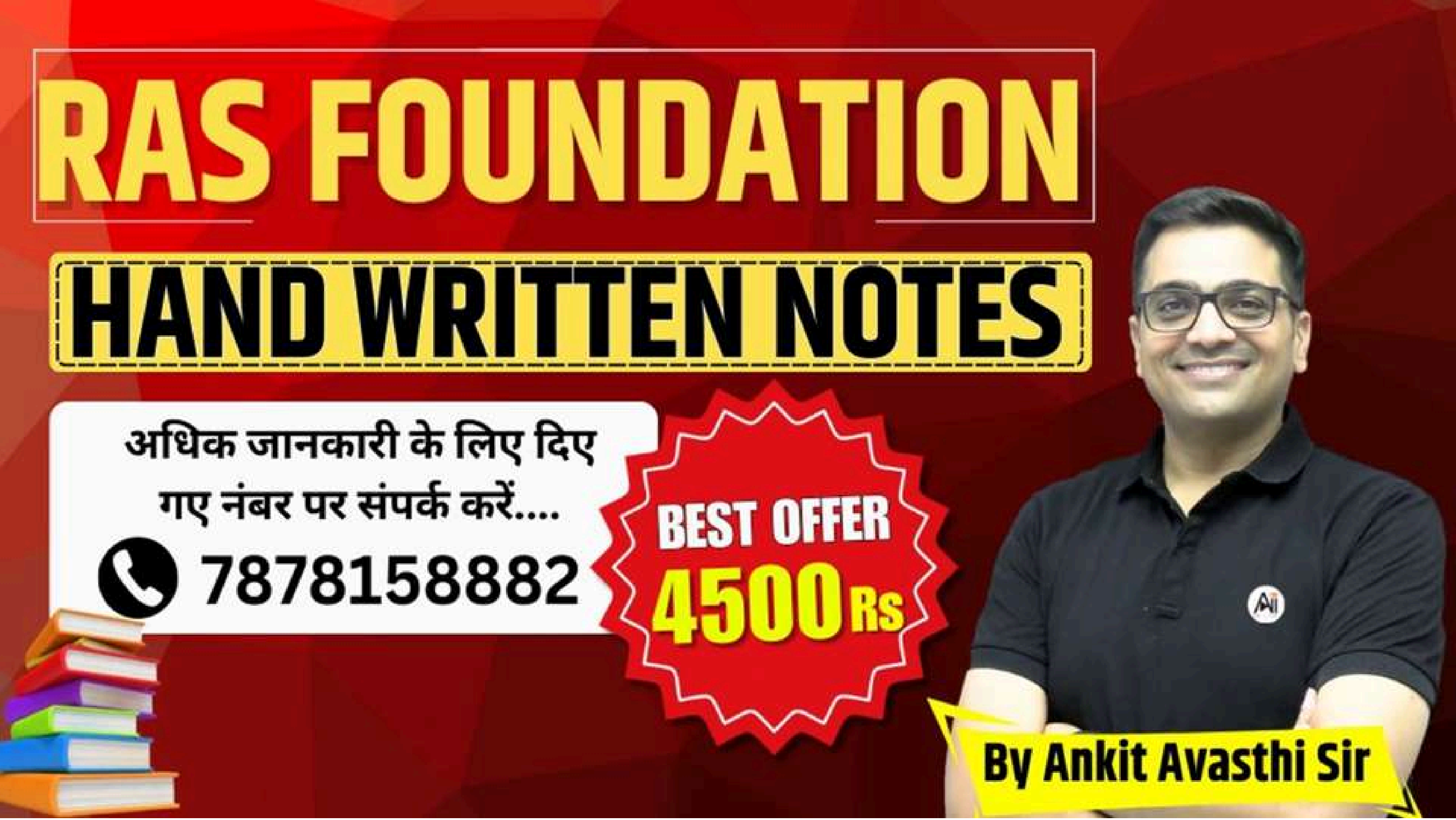
RAS FOUNDATION
HAND WRITTEN NOTES
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
BEST OFFER
4500 Rs
By Ankit Avasthi Sir

RRB NTPC
TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

TEST

Only 99 Per Year

Buy Now

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर
APNI PATHSHALA
UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES
UPPSC
(TEST SERIES)
• 35+ MOCK TESTS
• 40+ PYQ'S
• 180+ TOPIC WISE TEST
• 60+ CURRENT AFFAIRS
299/- YEAR
RO/ARO
(TEST SERIES)
• 50+ MOCK TESTS
• 30+ PYQ'S
• 10+ TOPIC WISE TEST
• 65+ CURRENT AFFAIRS
ONLY 299/- YEAR
BPSC
(TEST SERIES)
• 50+ MOCK TESTS
• 30+ PYQ'S
• 10+ TOPIC WISE TEST
• 65+ CURRENT AFFAIRS
ONLY 299 YEAR
SSC (TEST SERIES)
• 30 MOCK TESTS
• 28+ YEAR PYP
• 12 SECTIONAL TEST
• 60+ CURRENT AFFAIRS
ONLY 99/- YEAR
RPF (TEST SERIES)
• 40 MOCK TESTS
• 2 YEAR PYQ'S
• 4 SECTIONAL TEST
• 10 PRACTICE TEST
• 60 CURRENT AFFAIRS
ONLY 99/- YEAR
Download | Application
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
Avasthiankit
AnkitAvasthiSir
kaankit
ANKIT AVASTHI SIR

CALL CENTRE

HOW MAY I HELP YOU

7878158882

AnkitInspiresIndia

Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us: